BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI.

OA NO. 409 OF 2022

Dinesh Kumar.

...Applicant.

Versus

State of Haryana.

...Respondent.

I N D E X

Sr. No.	**Particulars**	**Dates**	**Page No.**
1	Compliance report of Joint Committee of DFO and Deputy Commissioner, Charkhi Dadri.	11.12.2024	1-4
2	Annexure R-1 (Forest Offence Report)	04.04.2022	5
3	Annexure R-2 (Receipt No.341)	05.04.2022	6
4	Annexure R-3 (Statement of Sarita)	--	7-8
5	Annexure R-4 (Statement of Surender Kumar)	--	9
6	Annexure R-5 (Statement of Raj Kumar)	--	10
7	Annexure R-6 (Statement of Vikas)	--	11-12
8	Annexure R-7(Statement of Dinesh)	06.07.2023	13-14
9	Annexure R-8 (Joint Inspection Report by Tehsildar and Range Forest Officer, Badhra)	10.12.2024	15-28
10	Annexure R-9 (Report submitted by Sub Divisional Officer (Civil), Badhra)	10.12.2024	29

Date: 16.12.2024
Place: Charkhi Dadri.

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri.

Factual and action taken report in O.A. No.409 of 2022 titled as Dinesh Kumar Vs. State of Haryana.

....

1. Sh. Dinesh Kumar, resident of village Sirsali Tehsil Badhra District Charkhi Dadri, Haryana filed Original Application no. 409 of 2022 complaining about illegal cutting of trees by Naresh, Bhup Singh, Ashish Kumar and others from joint agricultural land regarding which partition proceedings are pending. Hon'ble The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi taken up the case on 11.07.2022 and passed the following orders :-

"Mr. Dinesh Kumar resident of Village Sirsali, Tehsil Badhra, District Charkhi Dadri, Haryana has sent the present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining about illegal cutting of trees by Naresh, Bhupsingh, Ashish Kumar and others from joint agricultural land regarding which partition proceedings are pending.

In view of the averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of DFO and Deputy Commissioner, Charkhi Dadri, Haryana and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The DFO, Charkhi Dadri will be the Nodal agency for coordination and compliance.

Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

The application is disposed of accordingly."

2. That Hon'ble The National Green Tribunal taken up the matter on 25.11.2024 due to non-submission of compliance report and passed the following orders :-

"Order shows that joint Committee was constituted comprising Divisional Forest Officer and Deputy Commissioner, Charkhi Dadri and they were required to submit factual report within two months. However, no such report has been submitted with Registrar General of this Tribunal till date, though more than a year has passed. This conduct on the part of authority concerned is not appreciable particularly when non-compliance of Tribunal's order constitutes an offence under Section 26 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010').

However, we grant one more opportunity to the said Committee and direct it to submit factual report as directed by order dated 11.07.2022 within two weeks, failing which Divisional Forest Officer and Deputy Commissioner, Chakhri Dadri shall appear in person before Tribunal on the next date.

List on 18.12.2024."

3. That the applicant Dinesh Kumar also presented the same complaint before the Range Forest Officer, Badhra on 04.04.2022 and the beat Incharge Sh. Paramjeet Singh, Forest Guard, Badhra Beat inspected the site to verify the facts of the complaint and found that Smt. Sarita wife of Sh. Vikas resident of village Sirsali has cut 6 trees of Jand (Prosopis cineraria) illegally from her field. This area is closed under General Section 4 of Punjab Land Preservation Act, 1900 and no green tree felling is allowed without the prior permission of the concerned Divisional Forest Officer. Smt. Sarita wife of Sh. Vikas never obtained any permission from the Divisional Forest Officer, Charkhi Dadri for felling of these trees. Therefore, after verifying the facts, Forest Offence Report (FOR) No. 085/0734 dated 04.04.2022 was issued in the name of Smt. Sarita wife of Sh. Vikas resident of village Sirsali. Copy of FOR is annexed as **Annexure R-1**. Smt. Sarita wife of Sh. Vikas accept her illegal act and deposited compensation of Rs. 3000/- on 05.04.2022 with the Forest Department. In this regard receipt no. 341 dated 05.04.2022 issued and copy of receipt is annexed as **Annexure R-2**. Statement of Sarita was also recorded and the same is annexed as **Annexure R-3**.

4. That statement of the concerned alleged persons (Surender Kumar son of Daya Nand, Raj Kumar son of Daya Nand and Vikas son of Phool Chand) have also been recorded and copy of the same are also annexed as **Annexure R-4** to **R-6** respectively. In their statement, they have told that the case for partition of joint land is pending. They have also stated that these trees have been cut from the land which is being cultivated by the husband of Smt. Sarita since long time. They have also stated that the husband of Smt. Sarita is in Government service away from his village, therefore, his wife (Smt. Sarita) is looking after his agricultural land and these trees have been cut by Smt. Sarita. They have also stated that this complaint has been filed only to withdraw the partition petition. Statement of complainant (Dinesh) has also been recorded in which he reiterated the facts of complaint. He also stated that the compensation has been taken from Smt. Sarita which is only to misled the Hon'ble Court. Copy of Statement of Dinesh is annexed as **Annexure R-7**.

5. That after receipt of order dated 25.11.2024, Deputy Commissioner, Charkhi Dadri directed to Sub Divisional Officer (Civil), Badhra and Divisional Forest Officer, Charkhi Dadri to verify the facts of action taken by the Forest Department. After direction of the Deputy Commissioner, Charkhi Dadri, Tehsildar, Badhra and Range Forest Officer, Badhra inspected the site on 09.12.2024 and statements of affected persons including applicant recorded. Village Sarpanch and Numbardar also called on spot and statement of them also recorded. Statement of the following persons recorded on spot on 09.12.2024 :-

1. Sh. Jhabbu Ram, Numbardar, Sirsali.
2. Satyawan, Panch, Gram Panchayat, Sirsali.
3. Sarita wife of Vikas, Village Sirsali.
4. Vikas son of Phool Chand, Village Sirsali.
5. Raj Kumar son of Daya Chand, Village Sirsali.
6. Bhup Singh son of Anand Prakash, Village Sirsali.

7. Naresh son of Anand Prakash, Village Sirsali.

8. Bijender son of Bahadur Singh, Village Sirsali

9. Dinesh Kumar son of Hind Prakash, Village Sirsali.

6. That Tehsildar, Badhra and Range Forest Officer, Badhra submitted the joint inspection report vide letter no. 569 dated 10.12.2024 to the Deputy Conservator of Forests, Charkhi Dadri and verify the facts of action taken by the Forest Department. In joint inspection report, it has also been mentioned that the land from which trees have been cut, is being cultivated by Vikas son of Phool Chand/Sarita wife of Vikas resident of village Sirsali since 30-35 years and now crop of wheat has been sown. Action has already been taken according to rule and no action is pending in this regard. Copy of Joint Inspection Report alongwith statements is annexed as **Annexure R-8**.

7. That Sub Divisional Officer (Civil), Badhra has also submitted the report to Deputy Commissioner, Charkhi Dadri vide their letter no.2207 dated 10.12.2024 and reiterated the facts of the Joint Inspection Committee. Copy of report dated 10.12.2024 of the Sub Divisional Officer (Civil), Badhra is annexed as **Annexure R-9**

8. That it is clear from the above facts that the green trees have been cut without prior permission of the competent authority. Therefore, after verifying the facts, action had already been taken by the forest department in 2022 itselfagainst the accused as stated above and no action is pending in this regard. However, Action Taken Report could not be submitted within time granted by this Hon'ble Tribunal and this omission is regretted. It is undertaken to be careful in future for timely submission of report before this Hon'ble Tribunal.

Divisional Forest Officer, Charkhi Dadri.	Deputy Commissioner, Charkhi Dadri.

Date:16-12-2024
Place: Charkhi Dadri.

12

वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

0734 085

k No. .... FOR No. ....

	च० दादरी
/बीट	बाढड़ा / बाढड़ा / बाढड़ा
का नाम	सिरसली गाँव
. (Date, Day & Time)	0734/085 04-04-2022
करने वाले का नाम	श्री० परमजीत व० र०
जानकारी का स्रोत	स्वयं द्वारा ग्रस्त/ मुखबीर द्वारा/शिकायत
के तारीख/दिन/समय	02-04-2022 (शिकायतकर्ता अनुसार)
कारी का नाम व पद	श्री० मीरसिंह बु० द०
टना का विवरण संलग्न	FOR के पीछे दर्ज है नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या
या गया अधिनियम	PLPA 1900 सैक्शन 4
अधिनियम 1927	—
(संरक्षण) अधिनियम 1972	—
संरक्षण अधिनियम 1900	✓
ड संहिता	

	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
का	सरिता	W/o विकास	36	जाट	गांव सिरसली त० बाढड़ा

जब्त किये गये सामान का विवरण

	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मुल्य	मुआवजा राशि
उपज रण	/	/	/	/	/

	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	रंग	माँडल	उत्पादन वर्ष
ल का ण	/	/	/	/	/

दे			
चिन्हित	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया	
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया	

.C.

बीट इन्चार्ज Paramjeet FGd

शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

व० रा० अ० बाढड़ा

नाम श्री० जयप्रकाश

रैंक RFO

का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

दिनांक 04-04-2022

नुकसान का विवरण

आज दिनांक 04-04-2022 को शिकायत के आधार पर सिरसली गांव का निरक्षण / गस्त की गई। मौके पर 6 जण्ड पेड जो कि क्लास III तथा IIA के थे तथा काटे पाए मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल किया तथा हस्ताक्षर से मना किया। इसकी F.O.R. Sec 4 के तहत की गई।

Pramjeet Fgd

78	Sh. Satish	
	Sh. Pritam	

ANX-2

6

वन विभाग फार्म नं. 2 वन विभाग रसीद नं0 341

नक्शा नं0 व महकमा विभाग हरियाणा वन मंडल च0 दादरी

रसीद मावजा माल गिरफ्तार शुदा जेरदफा 9 FA 1927, Sec 68

रसीद नं0 341 मुकदमा सन 2022-23 बनाम सरिता W/o विकास

बाबत मुआवजा रू0 3000 व कीमत

माल गिरफ्तार शुदा रू0 — कुल रू0 3000

मुलजमान निम्नलिखित से द्वारा स्वयं

वसूल हुआ और माल गिरफ्तार शुदा मालकान को वापिस दिया गया व माल सरकारी निम्नलिखित वापिस लिया गया।

दिनांक : 5-4-2022

हस्ताक्षर वन अधिकारी

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

45

सेवा मे,

R.F.O महोदय

बाढ़ड़ा, जि० च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं सरिता W/O श्री विकास S/O श्री फूल चन्द गाँव सिरसली जिला- च० दादरी की रहने वाली हूँ गाँव मे पूर्व दिशा मे लगभग 60 कनाल का हमारा खेत जिसमे मेरे पति लगभग 30 कनाल के हिस्सेदार है पिछले 35-40 सालों से खेती कर रहे है। हिस्सेदारों का रजामंदी से यानि भाई-चारे के बंटवारे के हिसाब से हम ही इस हिस्से पर खेती कर रहे है। मेरे पति नौकरी करते हैं उसकी Posting हिसार के नजदीक है इसलिए वह वही रहते हैं यहाँ की खेती-बाड़ी का काम मैं ही देखती हूँ 30 कनाल के जिस हिस्से पर हम कई साल से काबिज उसी हिस्से 5-6 जान्डी के पेड़ थे और उनके नीचे फसल नही होती था मैंने उनको पिछली साल मार्च 2022 मे खेत से निकलवा दिया था उस काम के लिए मैंने मेरे भतिजे नरेश S/O श्री आनन्द प्रकाश को मजदुर करने के लिए कहा था क्योकि वो खेती-बाड़ी करता है और मजदुरों को जानता है नरेश ने सिर्फ मजदुर करके दिए थे, इसके अलावा नरेश या कोई भी अन्य व्यक्ति का इस काम मे कोई हाथ नहीं है

पिछली साल वन-विभाग ने मौका मुआयना करके 500/- प्रति पेड़ के हिसाब से कुल 3000/- रु० जुर्माना लगाया था जो हमनें रसीद न० 341 दिनांक 05-04-2022 को भर दिया था

शिकायतकर्ता जिस हिस्से पर खेती कर रहा है वह गाँव की फिरनी के साथ लगता खेत है जिसमे हम सब हिस्सेदार है। उस खेत काफी जान्डियाँ उन्होने भी निकलवा दी थी हम सभी हिस्सेदार उस खेत मे अपना-अपना हिस्सा मांग रहे है लेकिन वो देने के लिए तैयार नही है इसलिए उनके साथ न्यायालय मे जमीन जमीन बटवारे का केस चल रहा है उसी रंजिश के कारण शिकायतकर्ता बार-बार इस मुद्दे को उठाकर हमें परेशान कर रहे है वे जमीन बटवारे का जो केस चल रहा है उसको वापिस लेने का दबाव बनाने चाहते है इसलिए उसने उन सभी के नाम शिकायत मे लिखवा दिए जो उस जमीन मे हिस्सेदार है जिसका केस चल रहा है। जबकि जान्डी निकलवाने मे

PTO

किसी का कोई दावा नहीं है ये सब रजिस्ट्रेशन किया गया है जबकि जिस खेत की जांन्टी निकलवाई है उसमे वह सिर्फ 3 कनाल (यानि कुल खेत का 5%) का हिस्सेदार है

चूंकि पिछले साल विभाग द्वारा मौका मुआइना करके जुर्माना लगाया जा चुका है वह जुर्माना उसी समय भर भी दिया था। और मैंने तो सिर्फ उसी हिस्से के पेड़ निकलवाए थे जिस पर हम 35-40 साल से खेती कर रहे हैं शिकायत कर्ता के हिस्से से नहीं निकलवाए।

अत: श्रीमान जी, खुद के खेत में दिक्कत देने वाले पेड़ को भी हम वन-विभाग की अनुमति के बिना नहीं निकलवा सकते इसका मुझे पता नहीं था इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैंने जुर्माना भी समय पर भर दिया था और उस समय और पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया था व पेड़ लगाए भी है और आगे भी लगाती रहूंगी

धन्यवाद

Sign – Sarita

सरिता W/o विकास

सिरसली, बाढड़ा – च० दादरी

दिनांक – 17/07/2023

RFO
बाढ़ड़ा, च० दादरी

श्रीमानजी,

मैं सुरेन्द्र कुमार S/o श्री दयाचन्द गांव सिरसली, त० बाढ़ड़ा, जिला-च० दादरी का रहने वाला हूं। सिरसली गांव के पूर्व दिशा में हमारा 60 कनाल का खेत है जिसमें 12 कनाल के लगभग हिस्सेदार और यह पहले मेरे पिताजी के नाम था इसमें हम लगभग 35-40 साल से काश्त करते हैं। उसी खेत में मेरे चाचा का लड़का विकास S/o श्री फूलचन्द (Late) लगभग 30 कनाल का हिस्सेदार है। जिसमें वह पिछले 35-40 साल से काश्त करते आ रहे हैं। वह सरकारी नौकरी पर है और उसकी ड्यूटी हिसार के पास सिवानी है। इसलिए वह गांव में कम ही आता है। यहां खेती-बाड़ी का काम उसकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी देखती है। पिछले साल मार्च 2022 में उसकी पत्नी सरिता ने 5-6 पेड़ जांटी के निकलवाए थे।

मैं हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में PGT हिन्दी के पद पर (खरखड़ी लोहारू, भिवानी) कार्यरत हूं। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे तो तब पता चला जब शिकायतकर्ता ने मेरा झूठा नाम लिखवाया। जबकि जिस हिस्से में काश्त करता हूं उस हिस्से से कोई पेड़ नहीं निकलवाया गया है। मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी और मैं इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं हूं।

शिकायतकर्ता का मेरे साथ जमीन बटवारे का केस चला हुआ है। इसलिए रंजिशन इसमें मेरा झूठा नाम लिखवाया गया है। वह बार-2 इस मुद्दे को उठाकर जमीन के केस को वापिस लेने के लिए दबाव बना रहा है। इसलिए उसने हम सभी के नाम लिखवा दिए हैं जो उस जमीन में हिस्सेदार हैं जिनके साथ केस चल रहा है।

अतः श्रीमानजी मैं इस मामले में किसी भी तरह से संलिप्त नहीं हूं। :- धन्यवाद

Sign - (signature)
सुरेन्द्र कुमार S/o श्री दयाचन्द
सिरसली, बाढ़ड़ा, च० दादरी

Attested
(signature)
Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

10 6

Annex = 5

सेवा में
RFO महोदय
बाढड़ा, च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं राजकुमार S/o श्री Daya chand गांव सिरसली, तह० बाढड़ा जिला च० दादरी का रहने वाला हूँ सिरसली गांव के पूर्व दिशा में हमारा 60 कनाल का खेत है जिसमें मैं 12 कनाल का लगभग हिस्सेदार हूँ और ये पहले मेरे पिता जी के नाम था इसमें हम 35-40 साल से खेती करते आए हैं उसी खेत में मेरे चाचा का लड़का विनोद S/o श्री फूल चन्द लगभग 30 कनाल का हिस्सेदार है इस हिस्से में वह पिछले 35-40 साल से काबिज है वह सरकारी नौकरी पर है उसकी duty हिसार के पास है इसलिए वह गांव में कम ही आता जाता है यहां खेती बाड़ी का काम उसकी पत्नी सरिता देखती है पिछले साल मार्च 2022 में उसकी पत्नी ने 5-6 जांटी के पेड़ निकलवाए थे मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और वहीं पर रहता हूँ और उस समय भी मैं हिसार में ही था मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है मुझे तो तब मालूम चला जब शिकायतकर्ता ने मेरा नाम झूठा लिखवाया। मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और मैं इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं हूँ

शिकायत कर्ता का मेरे साथ जमीन बटवारे का केस चल रहा है इसलिए रंजिशन इसने झूठा ही नाम लिखवा दिया है वह बार-बार इस मुकदमे को उधार जमीन के केस को वापिस लेने के लिए दबाव बना रहा है इसलिए इसने उन सभी के नाम लिखवा दिए जो उस जमीन में हिस्सेदार है जिसका केस चल रहा है

अतः श्रीमान जी मैं इस मामले में किसी भी तरह से संलिप्त नहीं हूँ

धन्यवाद -

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

Sig- [signature]
राजकुमार S/o श्री दया चन्द
सिरसली, बाढड़ा च० दादरी

सेवा में   Annex - 6

RFO महोदय
बाढ़ड़ा जिला-च० दादरी

श्रीमान जी
मैं विकास s/o श्री फूलचन्द, गाँव सिरसली का रहने वाला हूँ
मैं सरकारी नौकरी में हूँ व मेरी Posting हिसार के नजदीक है अतः
मैं वहीं रहता हूँ गाँव में खेती-बाड़ी का काम मेरी पत्नी सरिता
देखती है क्योंकि गाँव में मेरा आना-जाना कम है।
गाँव की पूर्व दिशा में हमारा 60 कनाल का खेत है जिसमे मैं
30 कनाल का हिस्सेदार हूँ और मैं उसी 30 कनाल के हिस्से मे पिछले
35-40 साल से काबिज हूँ। और जिस हिस्से मे मैं काबिज हूँ उसमें
5-6 जांडी के पेड़ थे जो कडंम हो चुके थे व खेत जोतते समय दिक्क.
करते थे व उनके नीचे फसल भी नहीं होती थी।
मेरी पत्नी जो खेती बाड़ी देखती है उसने पिछली साल मार्च 2022 मे
उन जांडी के पेड़ो को निकलवा दिया था उसे ये नहीं पता था कि
वन विभाग की अनुमति के बिना वह खुद के खेत में भी कोई पेड़
नही निकाल सकते, वन विभाग ने उसी समय मौका मुआयना करके
500 रु० प्रति पेड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया था जो उसी समय
भर दिया था ये 3000/- रु० जुर्माना भरा था जिसका रसीद न० 341
दिनांक 05/04/2022 है।
शिकायत कर्ता जिस खेत पर काबिज है वह गाँव की फिरनी के
साथ लगता खेत है हम सब उस खेत में हिस्सेदार है जिनका
शिकायत में नाम लिखा गया है हम उस जमीन में अपना हिस्सा
मांग रहे है वो देने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उनके साथ
न्यायालय में जमीन बटवारे का केस चल रहा है उसी रंजीस के
करण शिकायत कर्ता बार-बार इस मुद्दे को उठाकर हमें परेशान
कर रहे है व जमीन बटवारे का जो केस चल रहा है उसको
वापिस लेने का दबाव बना रहे है जब की जांडी निकलवाने
मे अन्य अन्य का कोई हाथ नहीं है जिस खेत की जांडी
निकलवाई गई है शिकायत कर्ता उस खेत में मात्र 3 कनाल के
हिस्सा (यानि की 5% उस खेत में हिस्सेदार) मेरी पत्नी ने सिर्फ उसी
हिस्से से पेड़ निकलवाए जो जिस पर हम पिछले 35-40 साल से

PTO.

खेती कर रहे हैं शिकायतकर्ता के हिस्से से नहीं निकलवाए। 12
क्योंकि पिछले साल विभाग द्वारा मौका मुआयना करके जुर्माना
लगाया जा चुका है व इसके समय पर भर भी दिया था।
लेकिन शिकायतकर्ता राजेश इस मुद्दे को बार-बार उठा रहा है।

अतः श्रीमान जी, अज्ञानतावश, विभाग की अनुमति
लिए बिना पेड़ निकलवाने के लिए वह क्षमा मांगी है व आगे
और पेड़ लगाने का संकल्प किया है

धन्यवाद

हस्ता:- [signature]

विकास s/o श्री फूलचन्द
सिरसली, बाढड़ा, दादरी

Attested
[signature]
Divisional Forest Officer
Charkhi Dadri
[signature]

बयान Annex-7 06/04/2022

Badhra.

श्रीमान जी, मेरा नाम दिनेश कुमार S/o श्री हिन्द प्रकाश है तथा मैं सिरसली गाँव, हल्का-बाढड़ा, जिला-चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने 04/04/2022 को नरेश, भूप, अरविंद S/o श्री आनन्द प्रकाश, विकास S/o श्री फूलचन्द तथा सुरेन्द्र, राजकुमार S/o श्री दयाचन्द के खिलाफ साझे की जमीन से पेड़ काटकर बेचने की शिकायत बाढड़ा वन विभाग तथा बाढड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवायी थी। 03/04/2022 को मैंने 112 तथा DFO चरखी दादरी के नंबर पर कॉल से भी शिकायत दर्ज करवायी थी। 03/04/2022 को मैंने मौके पर पेड़ काटने तथा ट्रैक्टर में डालने की विडियो तथा फोटो भी बनाई थी।

इन लोगों ने वन विभाग में अपने नाम से कोई जुर्माना जमा नहीं किया तथा सरिता W/o विकास के नाम से जुर्माना जमा किया गया जो मात्र 3000 रुपये था, ऐसा विकास के द्वारा कोर्ट को गुमराह करने के इरादे से किया गया। विभाग द्वारा कोई लकड़ी या ट्रैक्टर जब्त नहीं किए गए तथा न ही चालान किया गया।

Attested

Divisional Forest Office,
Charkhi Dadri

इन लोगों ने बाद्हा बारे में भी अपनी
पहुँच का फायदा उठाकर मेरे तथा मेरे चाचा
राकेश कुमार के खिलाफ शिकायत देकर हमारा
ही चालान फार्म भरवा दिया तथा हमसे बाद
में समझौता किया कि तुम पेड़ों की शिकायत
वापिस लेलो तथा हम भी 40 वर्षों के
बटवारे के तहत अपनी-अपनी जगह तकसिम
करवा लेंगे तथा जो हमारा अवैध कब्जा है
9-10 ~~कनाल~~ मुरला पर (बंटवारे के तहत) उसको भी
खाली कर देंगे तथा अपनी शिकायत वापिस
ले लेंगे। लेकिन श्रीमान जी इन लोगों ने
तीन दिन बाद, सम्भवत: आनन्द प्रकाश जी के
कहने पर ऐसा करने से मना कर दिया
तथा कब्जे वाली जमीन पर नई दीवार भी
निकाल ली तथा जब मैंने विरोध किया तो
मुझे धमकी भी दी। इन लोगों ने लालच, द्वेष
तथा ईर्ष्या की भावना से केस किया है तथा
लालच वश ही पेड़ काटे हैं तथा अपने हिस्से
की जमीन को पेड़ों से खाली कर दिया है।
श्रीमान जी प्रार्थना है कि न्याय पूर्ण ~~कार्यवाही~~
कदम उठाए जाएं।

ब्यान कर्ता
...श कुमार
93544...
06/07/2023

(संलग्न → शिकायत कॉपी तथा ...
... ... कॉपी

Dy Conservator of Forest
Charkhi Dadri

DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Range Forest Officer, Badhra
Loharu Road, Badhra Tel. No. 01252-253060, E-mail:-rfobadhra/gmail.com

क्रमांक : 569 दिनांक: 10-12-2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
चरखी दादरी।

विषयः— Original Application No. 409/2022 Sh. Dinesh Kumar V/s State of Haryana.

संदर्भः— आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 05.12.2024

संदर्भाकित पत्र के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 04.04.2022 को श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दिव्य प्रकाश द्वारा इस कार्यालय के तत्कालीन वन राजिक अधिकारी श्री जय प्रकाश लाखलान को साझे की जमीन से पेड़ काटने व सबुत मिटाने विषय के अन्तर्गत शिकायत दी गई। दिनांक 04.04.2022 को तत्कालीन वन रक्षक श्री परमजीत बाढड़ा बीट द्वारा शिकायत आधार पर मौके की गश्त की गई। वन अपराध रिपोर्ट अनुसार सरीता पत्नि विकास निवासी गॉव सिरसली द्वारा बिना अनुमति के 6 जण्ड के हरे पेड़ काट लिए गए थे। पंजाब भू–संरक्षण अधिनियम, 1900 की सामान्य धारा 4 की उल्लंघना पाए जाने पर सरीता पत्नि विकास निवासी गॉव सिरसली के विरूद्ध वन अपराध रिपोर्ट संख्यां 85/0734 दिनांक 04.04.2022 को चाक कर दी गई। दस्तावजों के अनुसार अपराधी सरीता पत्नि विकास द्वारा 3000 रूप्ये मुआवजा राशी दिनांक 05.04.2022 को विभाग में जमा करवा दिया गया। जिसकी रशीद संख्या 341 है। साथ सलंगन है।

दिनांक 06.12.2024 को वन राजिक अधिकारी बाढड़ा ने अपने पत्र क्रमांक 559–65 दिनांकक 06.12.2024 को को नोटिस भेजकर दिनांक 09.12.2024 को तहसीलदार साहब बाढड़ा के साथ संयुक्त मौका निरिक्षण किया गया। मौका निरिक्षण पर गॉव के हालिया सरपंच व नम्बरदार को बुलाया गया। मौके पर मौजूदा व्यक्यिों ने वताया की उक्त 6 पेडो की अवैध कटाई वाली भूमी पर 30–35 वर्षो से श्रीमती सरीता पत्नि विकास पुत्र फुलचन्द निवासी गॉव सिरसली कास्त कर रही है। अब मौके पर गेहू की बीजाई की हुई है। मौके के जी0पी0एस0 $28^0 33' 21'' N, 75^0 53' 00'' E$

मौके पर मौजूदा व्यक्तियों के ब्यान साथ सलंग्न है।

1. श्री झब्बूराम नम्बरदार सिरसली
2. श्री सत्यवान पंच ग्राम पंचायत सिरसली
3. श्रीमती सरीता पत्नि श्री विकास गॉव सिरसली
4. श्री विकास पुत्र श्री फूलचन्द गॉव सिरसली
5. श्री राजकुमार पुत्र श्री दयाचन्द गॉव सिरसली
6. श्री भूप सिंह पुत्र श्री आनन्द प्रकाश गॉव सिरसली
7. श्री नरेश पुत्र श्री आनन्द प्रकाश गॉव सिरसली
8. श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री बहादुर सिंह गॉव सिरसली
9. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हिन्द प्रकाश गॉव सिरसली

उक्त ब्यानों के आधार पर जांच का निष्कर्ष यह है कि शिकायत में दर्ज व्यक्तियों का पारिवारिक जमीनी विवाद हैं। श्रीमती सरिता पत्नि विकास गॉव सिरसली द्वारा मुशतरका खेवट से पेड़ो को कटवाने के लिए वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई तत्कालीन वन रक्षक द्वारा विभागीय नियम अनुसार दोषी के विरूद्ध 6 जण्ड के पेड़ कलास III तथा IIA कटे पाए जाने पर दोषी सरिता पत्नि विकास जाती जाट गॉव सिरसली के विरूद्ध वन अपराध रिपोर्ट चाक कर दी गई थी। अब मौके पर श्री विकास पुत्र फुलचनद /श्रीमती सरीता पत्नि विकास निवासी गॉव सिरसली द्वारा ही गेहू की फसल बिजाई की हुई है। शिकायत पर नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी गई है कोई कार्यवाही शेष नहीं है। ब्यानों सहीत मौका निरीक्षण रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

तहसीलदार [redacted],
बाढड़ा।

वन राजिक अधिकारी,
बाढड़ा

Attested

Divisional Forest Office
Charkhi Dadri

वन विभाग फार्म नं. 2 वन विभाग रसीद नं० 341

नक्शा नं० व महकमा विभाग हरियाणा वन मंडल च० दादरी

रसीद मावजा माल गिरफ्तार शुदा जेरदफा IFA 1927, Sec 68

रसीद नं० 341 मुकदमा सन 2022-23 बनाम सरिता W/o विकास

बाबत मुआवजा रू० 3000 व कीमत

माल गिरफ्तार शुदा रू० — कुल रू० 3000

मुलजमान निम्नलिखित से द्वारा स्वयं

वसूल हुआ और माल गिरफ्तार शुदा मालकान को वापिस दिया गया व माल सरकारी निम्नलिखित वापिस लिया गया।

दिनांक : 5-4-2022

हस्ताक्षर वन अधिकारी

Attested

Divisional Forest Officer
Charkhi Dadri

प्रेषक

वन राजिक अधिकारी,
बाढडा।

प्रेषित,

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री हिन्द प्रकाश वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
2. नरेश कुमार पुत्र श्री आन्नद प्रकाश वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
3. भुप सिंह पुत्र श्री आन्नद प्रकाश वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
4. आशीष पुत्र आन्नद प्रकाश वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
5. विकास पुत्र श्री फुलचन्द वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
6. सुरेन्द्र पुत्र श्री दयाचन्द वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
7. राजकुमार पुत्र श्री दयाचन्द वासी सिरसली (भोपाली) तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।

क्रमांक 559-65 दिनांक 06-12-2024

विषय:– Original Application no. 409/2022 Sh. Dinesh Kumar V/s State of Haryana-मौका निरिक्षण बारे।

उपरोक्त विषय बारे उप वन संरक्षक, चरखी दादरी के कार्यालय पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से मौका निरिक्षण बारे इस कार्यालय आदेश प्राप्त हुए है के सन्दर्भ में आप सभी को भेज कर लिखा जाता है कि आप सभी दिनांक 09.12.2024 को दोपहर 01:00 बजे आप मौके पर उपस्थित रह कर तथ्य सहित अपने–अपने ब्यान दर्ज करवाना सुनिश्चित करें, ताकि सुयक्त निरीक्षण करके पुर्ण तथ्यों सहित सुचना उप वन संरक्षक, चरखी दादरी की सेवा में भेजी जास के। किसी भी प्रकार की देरी व लापरवाही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगे।

वन राजिक अधिकारी,
बाढडा।

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

EH020869158IN IVR:6972020869158
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:DINESH KUMAR .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869263IN IVR:6972020869263
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:VIKASH.SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869250IN IVR:6972020869250
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:NARESH KUMAR .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869229IN IVR:6972020869229
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:BHUP SINGH .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)

<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869232IN IVR:6972020869232
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:RAJKUMAR .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869246IN IVR:6972020869246
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:SURENDER .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EH020869144IN IVR:6972020869144
SP BADHARA SO <127308>
Counter No:1.07/12/2024.11:31
To:ASHISH .SIRSALI
PIN:127308. Badhara SO
From:RANGE FORES.BADHRA
Wt:10gms
Amt:17.70.Tax:2.70.Amt.Paid:18.00(Cash)
st.gov.in

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

28

20

सेवा में
R.F.O महोदय
बाढड़ा च॰ दादरी

श्रीमान

मैं झब्बूराम S/. श्री चन्दगीराम गाँव सिरसली तह - बाढड़ा का रहने वाला हूँ। मैं हाजिर गाँव का नम्बरदार हूँ। जिस जमीन का मौका मुआयना किया गया है वह 60 कनाल का टुकड़ा है। जिसमें से 30 कनाल का हिस्सेदार विकास पुत्र फूल चन्द है। वह इस हिस्सेपर पिछले 35-40 सालो से काबिज है। वह बाहर नौकरी करता थी और उसने इस हिस्से को बिजेन्द्र S/. बहादुर सिंह गाँव कारीमेला कास्त करता थी।

श्रीमान आपकी सेवा में प्रेषित है

यह 60K का टुकड़ा 50 / 40 स खेती करता है

दिनांक - 09/12/2024

Prabhu Ram

नम्बरदार
झब्बूराम
सिरसली

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

सेवा में

R.F.O महोदय
बाढड़ा, च० दादरी

श्रीमान जी

मैं सत्यवान पुत्र श्री मायाचन्द, निवासी सिरसली, तह. बाढड़ा का रहने वाला हूँ। मैं हाजिर पंच हूँ।

जिस जमीन का मौका मुआयना किया गया वह 60 कनाल का टुकड़ा है जिसमे 30 कनाल का हिस्सेदार विकास s/. फूलचंद है वह पिछले 35-40 साल से इस हिस्से पर काबिज है व बाहर रहता है व नौकरी करता है अब उसने ये खेत बिजेन्द्र s/. बहादुर, गाँव कारी मोदा को काश्त के लिए दे रखा है

ब्यान आपकी सेवा में हाजिर है

दिनांक
09-12-24

Satyan Panch
सत्यवान s/. श्री मायाचंद,
पंच, ग्राम पंचायत सिरसली।

Attested
Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

30

22

R.F.O. महोदय
बाढड़ा, जि० च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं सरिता w/o श्री विकास s/o श्री फूलचन्द, गाँव - सिरसली, तह - बाढड़ा जिला च० दादरी की रहने वाली हूँ। गाँव के पूर्व दिशा में लगभग 60 कनाल का हमारा खेत है जिसमें मेरे पति लगभग 30 कनाल के हिस्सेदार हैं। पिछले 35-40 सालों से, दूसरे हिस्सेदारों की रजामंदी से यानि भाईचारे के बंटवारे के हिसाब से हम ही इस हिस्से पर खेती कर रहे हैं। मेरे पति नौकरी करते हैं, उनकी Posting हिसार के नजदीक है, इसलिए वे वहीं रहते हैं। यहां की खेतीबाड़ी का काम मैं ही देखती हूँ।

30 कनाल के जिस हिस्से पर हम कई साल से काबिज हैं, उसी हिस्से में 5-6 जांटी के पेड़ थे जो कुछ हद तक कंडम हो चुके थे व खेत जोतते समय दिक्कत देते थे और उनके नीचे फसल भी नहीं होती थी। मैंने उनको मार्च 2022 में खेत से निकलवा दिया था। इस काम के लिए मैंने मेरे भतीजे नरेश पुत्र आनन्द प्रकाश से मजदूर करने के लिए कहा था क्योंकि वो खेतीबाड़ी करता है व मजदूरों को जानता है नरेश ने सिर्फ मजदूर करके दिए थे, इसके अलावा नरेश या कोई भी अन्य व्यक्ति इस काम में किसी भी तरह से शामिल नहीं है।

उसी दौरान वन विभाग ने मौका मुआयना करके 500 रु० प्रति पेड़ के हिसाब से कुल 3000 रु० जुर्माना लगाया था जो हमने रसीद न० - 341 दिनांक 05-04-2022 को भर दिया था। रसीद की फोटोकॉपी संलग्न है।

शिकायतकर्ता दिनेश पुत्र हिन्दप्रकाश के साथ हमारा जमीन बंटवारे का न्यायालय में केस चल रहा है। जिस जमीन के हिस्से पर वह खेती करता है उसमें हम भी हिस्सेदार हैं लेकिन वह हमारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। इसी रंजिश के कारण वह बार-2 इस मुद्दे को उठाकर हमे परेशान कर रहा है। वह जमीन बंटवारे का जो केस चल रहा है उसको वापिस लेने का दबाव बनाना चाहता है इसी लिए उसने उन सभी के नाम शिकायत में लिखवा दिए हैं जो उस खेत मे हिस्सेदार हैं जिससे जाँटी निकाली गई थी, जबकी बाकि लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है। जबकी शिकायतकर्ता तो इस खेत में मात्र 3 कनाल (यानि कुल खेत का मात्र 5%) का हिस्सेदार है जबकि मेरे पति 50% खेत के हिस्सेदार हैं। और मैंने जाँटी सिर्फ उसी हिस्से से निकलवाई थी जिस पर हम 40 साल से काबिज हैं।

चूंकि श्रीमान जी, खुद की जमीन से भी बिना वन विभाग की अनुमति के हम पेड़ नहीं निकाल सकते, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ व विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना भी मैंने समय पर भर दिया था न इससे पहले भी मैं दो बार विभाग को अपना स्पष्टीकरण दे चुकी हूं। यह तीसरी बार है व शिकायतकर्ता बार-2 जानबूझकर परेशान कर रहा है।

Attested
Sd/-
Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

दिनांक 09-12-2024

Sarita
सरिता w/o विकास
गां-सिरसली, बाढड़ा

सेवा में,

R.F.O महोदय
तह- बाढड़ा, जि० च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं विकास पुत्र फूलचन्द निवासी सिरसली, तह- बाढड़ा का रहने वाला हूँ। गांव की पूर्व दिशा में हमारा 60 कनाल का खेत है जिसमें मैं लगभग 30 कनाल का हिस्सेदार हूं। मेरे खेत मे 5-6 कंडम जांटी थी जो खेती मे दिक्कत देती थी। मेरी पत्नी सरिता खेतीबाड़ी का काम देखती है क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ। मार्च 2022 में मेरी पत्नी ने उन जाँटियों को निकलवा दिया था। उसे नही पता था कि वन विभाग की अनुमति के बिना खुद के खेत में भी जाँटी नही काट सकते। वन विभाग ने उस समय मौका मुआयना करके 3000 रु० जुर्माना लगाया था जो हमने रसीद न० -341 दिनांक 05-4-2022 को हमने भर दिया था।

शिकायतकर्ता के साथ हमारा न्यायालय में जमीन बँटवारे का केस चल रहा है। वह बार-2 इस चीज की शिकायत करके परेशान कर रहा है। पहले भी 2 बार अधिकारीगण मौका का मुआयना कर चुके हैं। मेरी पत्नी का बयान संलग्न है व रसीद की फोटोकॉपी भी संलग्न है।

(Signature)
विकास पुत्र फूलचन्द
सिरसली बाढड़ा

Date - 9/12/24

Attested
(Signature)
Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

24

सेवा में,

R.F.O महोदय

बाढड़ा, च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं सुरेन्द्र कुमार S/ श्री दयानन्द, गाँव सिरसली, त० बाढड़ा का रहने वाला हूँ। मैं इस जमीन जिसमें से जांच कराई गई है, उसमें हिस्सेदार हूँ। मैं जिस हिस्से में कास्त करता हूँ उसमें से कोई पेड़ नहीं काटा गया है। और ना ही कोई हाथ है और ना ही इसकी कोई जानकारी है। मेरा नाम बिल्कुल झूठा लिखवाया गया है।

अतः श्रीमान जी मेरा स्पष्टीकरण आपकी सेवा में प्रेषित है।

Bhagat

दिनांक - 9/12/2024

राजकुमार S/o श्री दयानन्द

गाँव - सिरसली, त० बाढड़ा।

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

Ch.

सेवा में,

R.F.O. महोदय
बाढड़ा, च० दादरी

श्रीमान जी,

मैं भूप सिंह पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी सिरसली, तह - बाढड़ा का रहने वाला हूँ। जिस खेत से जाँटी काटी गई है न तो मैं उस खेत मे हिस्सेदार हूँ और न ही मुझे इस बारे मे कोई जानकारी है। अत: मेरा ब्यान आपकी सेवा मे प्रेषित है।

Date - 09/12/2024

Bhoopsingh
भूप सिंह S/o. आनन्द प्रकाश
सिरसली बाढड़ा

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

34 लाना ग

26

R.F.O महोदय
बाढड़ा, च॰ दादरी

श्रीमान जी,

मैं नरेश पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी सिरसली तह-बाढड़ा, जि० च० दादरी का रहने वाला हूँ। मैं गाँव में ही रहता हूं व खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। जिस खेत से जाँटी काटी गई है उसमे मैं हिस्सेदार नही हूँ। रजिस्ट्रेशन मेरा नाम लिखवाया गया है।

यह 60 कनाल का खेत है जिसमें 30 कनाल के लगभग हिस्सा विलास S/. फुलचन्द का है जो मेरे चाचा लगते हैं और वो नौकरी करते हैं व बाहर रहते हैं। उनकी पत्नी, मेरी चाची सरिता खेतीबाड़ी का काम देखती है।

मार्च 2022 में मेरी चाची ने 5-6 कंडम जाटियों को उस खेत से निकलवाने के लिए मजदूर करने के लिए कहा था, जो मैने करके दिए थे। इसके अलावा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नही है। न ही मैं इस काम में किसी प्रकार से शामिल हूँ। मेरा स्पष्टीकरण आपकी सेवा में प्रेषित है।

Naresh
नरेश पुत्र आनन्द प्रकाश
सिरसली बाढड़ा

Attested
Divisional Forest Officer
Charkhi Dadri
Ch

सेवा में,

R.F.O महोदय
बाढड़ा, च० दादरी

श्रीमान जी

मैं बिजेन्द्र पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी कारी मेला, तह बाढड़ा का रहने वाला हूँ। मैं उस खेत को जोतता हूं। जिस खेत से जाँटी काटी गई थी। यह खेत पिछले कई सालो (35-40 साल) से विलास पुत्र फूलचन्द ही खेती करता है। मैंने उसी से तीसरे बाँटे में यह खेत ले रखा है। मेरा ब्यान आपकी सेवा में प्रेषित है।

दिनांक
09-12-24

बिजेन्द्र
बिजेन्द्र S/o बहादुर सिंह

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

ब्यान 09/12/24 28

श्रीमान जी मेरा नाम दिनेश कुमार S/o श्री हिन्द प्रकाश है तथा मैं सिरसली गाँव, हल्का - बाढ़डा, जिला - च. दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने 04/04/2022 को नरेश, भूप, आशीष S/o श्री ~~हिन्द~~ आनन्द प्रकाश, विकास S/o श्री फुलचन्द तथा सुरेन्द्र, राजकुमार S/o श्री रूपचन्द के खिलाफ साझे की जमीन से पेड़ काटकर बेचने की शिकायत बाढ़डा वन विभाग तथा बाढ़डा पुलिस थाने में करवायी थी, श्रीमान जी साझे की जमीन से पेड़ काटने पर दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, पेड़ काटने की विडियो व फोटो मैंने बना रखे हैं जो मैंने बाढ़डा थाना में भी दिखाए थे, श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरी 04/04/2022 की शिकायत तथा 06/07/23 को वन विभाग में दिए गए ब्यान के अनुसार दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए।

धन्यवाद

[signature]
09/12/24

Attested

[signature]
Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri

[signature]

Annex - 9

२९ 37

प्रेषक,

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढ़ड़ा (चरखी दादरी)।

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,
चरखी दादरी।

क्रमांक 2207 /स्टैनों दिनांक 10.12.2024

विषयः– **Original Application No. 409/2022 Sh. Dinesh kumar V/s State of Haryana.**

उपायुक्त महोदय के अनुसार Original Application No. 409/2022 Sh. Dinesh kumar V/s State of Haryana. के संदर्भ में शिकायत से सम्बधित वन विभाग की पूर्व कार्यवाही रिपोर्ट व तहसीलदार बाढडा व वन राजिक अधिकारी बाढडा से संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई जिनके अनुसार उपरोक्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है तथा मौके पर शिकायत में वर्णित जमीन पर विकास पुत्र फुलचन्द, सरीता पत्नी विकास का ही कब्जा है और गेहुं की फसल काश्त कर रखी है। शिकायत कर्ता आपसी जमीनी विवाद के कारण शिकायत कर रहा है। अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढ़ड़ा (चरखी दादरी)।

Attested

Divisional Forest Officer,
Charkhi Dadri